<u>न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर</u>

<u>(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)</u>

<u>क्रमांक/वि.अ./1165/2020/भीलवाड़ा (2020/01165)</u>

विभागीय अपील द्वारा श्री ललित कुमार पुरोहित, तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक एफ. 1–18(1)( )स्था./2020/15639 दिनांक 09–4–2020 जिसके द्वारा अपचारी अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत तीन वार्षिक वेतन वद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री ललित कुमार पुरोहित, तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 09.04.2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 09–04–2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम 11–3–2020 को ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किये गये। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

<u>आरोप संख्या–एक</u>

यह कि आप द्वारा दिनांक 25–6–2019 को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमियों की दरे अनुमोदित करवा ली थी, जबकि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि की दरे निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को है। इस हेतु राज्य अधिसूचना एवं राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 (1) के द्वारा भी स्पष्ट किया ... जिसके क्रम में वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)FD/TAX/ ...–226 दिनांक 9–3–2015 एवं पुनः एफ.4(4)FD/TAX/2015–122 दिनांक ...6–2020 की पालना ... द्वारा की जानी थी। जिसकी जानकारी हेतु आपको ...न/पत्र पूर्व में प्रेषित ... गये थे। आप द्वारा लापरवाही पूर्वक गैर जिम्मेदारी से औद्योगिक प्रयोजनार्थ दरे डीएलसी बैठक दिनांक 25–6–2019 में अनुमोदित करा दी। जिससे राज्य सरकार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:28 IST
Reason: SelfAttested

जारी अधिसूचनाओं एवं निर्धारित औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि की दरों से औद्योगिक भूमियों का कम दरों पर मूल्यांकन कर पंजीयन किया गया, जिससे पंजीयन एवं मुद्रांक करापवंचना कारित हुई है व पक्षकारान को अनुचित लाभ पहुंचाया है, जिससे राजस्व हानि हुई है। इस प्रकार समस्त तथ्य आपको भलीभांति संज्ञान में होने के बावजूद भी औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि की दरों का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति द्वारा लापरवाही पूर्वक गैर जिम्मेदारी से करवाया, जो राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पूर्णतया विपरीत था। इस प्रकार आप द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि के पंजीयन करने में पक्षकारों को अनुचित लाभ पहुंचाने व करापवंचना कर राजस्व हानि पहुंचाने से आपकी सत्यनिष्ठा सन्देहास्पद प्रतीत होती है व जिसके लिए आप आरोपित है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में दिनांक 31–3–2020 को जवाब प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा स्वयं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात अपचारी अधिकारी के द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत जवाब एवं उन पर लगाये गये आरोपों का अवलोकन कर समस्त तथ्यों पर मनन एवं परीक्षण उपरान्त अपचारी अधिकारी को दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत तीन वार्षिक वेतन वद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी अधिकारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 9–4–2020 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपचारी अधिकारी ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी को आरोप पत्र दिनांक 13–3–2020 को प्राप्तहुआ जब से 7 दिवस के अनदर उक्त आरोपों से संबंधित दस्तावेजात का निरीक्षण करना था। उक्त दस्तावेजों का निरीक्षण करने के पश्चात 15 दिवस के अन्दर लिखित जवाब प्रस्तुत करना था परन्तु जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 30–3–2020 को व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस जारी करते हुए दिनांक 31–3–2020 नियत कर दिनांक 9–4–2020 को दण्डादेश पारित कर दिया। अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस विषय पर कृप्या निम्न रूलिंग्स का अवलोकन फरमावेः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:28 IST
Reason: SelfAttested

:: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2005 (3)सी.डी.आर. पृष्ठ 1982 जगदीश चन्द्र बनाम राजस्थान सरकार तथा राजेन्द्र दत्त शर्मा बनाम सरकार के प्रकरण में नियम 17 के तहत कार्यवाही में अपचारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक माना है तथा यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो भी तथ्य उठाये गये है उसका उल्लेख निर्णय में किया जाना चाहिए। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने माननीय उच्च न्यायलय द्वारा पारित सिद्धान्तों की अक्षरशः पालना नहीं की है इसलिए पारित दण्डादेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।''

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही करते हुए तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। अपीलार्थी अक्टूबर 2021 को सेवा निवृत हो रहा है इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध नियम 17 के तहत असंचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड दिया गया है। लेकिन जो वेतनवृद्धि रोके जाने का दण्ड दिया गया है उसमें वेतन वृद्धि 2020 व 2021 को रोकी गई है जो पुनः लगना संभव नहीं है क्योंकि अपीलार्थी अक्टूबर, 2021 को सेवानिवृत हो रहा है । इस प्रकार के दण्ड का भविष्य में भारी प्रभाव पडेगा। नियम–17 के तहत केवल माईनर दण्ड ही दिया जा सकता है।

अपीलार्थी के विरूद्ध मात्र एक आरोप लगाया गया है जो अस्पष्ट व अपूर्ण है। आरोप में यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने दिनांक 25–6–2019 को आयेजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि की दरे अनुमोदित करवा ली व पक्षकारों को अनुचित लाभ पहुंचाया है जिससे राजस्व हानि हुई है। इस प्रकार आरोप में यह अंकित नहीं किया गया है कि अपीलार्िी ने किन अधिकारियों से कहकर औद्योगिक दरे निर्धारित करवाई है। इसके अलावा आरोप पत्र में यह भी अंकित नहीं है कि अपीलार्थी ने किन–किन पक्षकारों को अनुचित लाभ पहुंचाया है जिससे राज्य सरकार को हानि हुई है आरोप पत्र में यह भी अंकित नहीं है कि राज्य सरकार को कितनी हानि हुई है। इस प्रकार अस्पष्ट आरोप के आधार पर पारित दण्डादेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि दिनांक 25–6–2019 को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में औद्योगिक दर निर्धारित करने के लिए अपीलार्थी के साथ साथ उप पंजीयक बनेड़ा, रायला, मांडलगढ़, शाहपुरा, हुरड़ा को भी आरोप पत्र जारी किये गये थे। इनमें से उप पंजीयक बनेड़ा श्री शंकर सिंह राठौड़ ने आरोपों के संबंध में जिला कलक्टर भीलवाड़ा को लिखित अभिकथन में कहा गया कि दिनांक 25–6–2019 को जिला स्तरीय कमेटी ने जो दरे निर्धारित की है

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:28 IST
Reason: SelfAttested

उसके बारे में सब रजिस्ट्रारों ने केवल अपने प्रस्ताव ही भिजवाये थे। इस पर निर्णय जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष व अन्य 6 सदस्यों का करना था एवं औद्योगिक दरे जो निर्धारित थी वह महानिरीक्षक पंजीयन विभाग अजमेर के परिपत्र दिनांक 28–8–2018 के अनुसार ही पूर्व में निर्धारित थी एवं वे साफ्टवेयर पर अपडेट थी। इनमें सब रजिस्ट्रार का होई लेना देना नहीं है। जिला कलक्टर ने शंकर सिंह राठौड़ के उक्त कथनों को मानते हुए इनके विरूद्ध विभागीय जांच समाप्त करतेहुए दोषमुक्त कर दिया गया है। परन्तु समान आरोपों में अपीलार्थी को दण्डित कर तीन वार्षिक वेतन वृद्धि राकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। एक ही आरोपों के लिए एक अधिकारी को दोष मुक्त कर दिया गया और दूसरे अधिकारी को दण्डित कर दिया गया। इसलिए दण्डादेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 व 17 के प्रावधानों के विपरीत होने से जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि उपपंजीयक रायला, माण्डलगढ़, शाहपुरा, हुरड़ा के नाम भी नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी कर दिये गये किन्तु इन सभी अधिकारियों की जांचे अभी तक लम्बित है और उन पर कोई निर्णय पारित नहीं हुआ किन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण में मात्र 20 दिन के अन्दर जांच की सम्पूर्ण कार्यवाही कर दण्डित कर दिया गया है जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहतकार्यवाही से पूर्व प्रारम्भिक जांच कराये जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ/कार्मिक (क–3)79 दिनांक 26–3–1980 के अनुसार आरोपों को निर्धारित करने से पूर्व प्रारम्भिक जांच कराया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में दण्डादेश पारित करने से पूर्व कोई प्राथमिक जांच नहीं कराई गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1969 आर.एल.डब्लयू पृष्ठ 579 (कृष्णलाल गोदारा बनाम राजस्थान सरकार) 1969 एस.एल.आर पृष्ठ 666 में यह निर्णय पारित किया है कि प्राथमिक जांच कराये बिना नियम 17 के तहत जो चार्जशीट जारी की गई है वह विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से पारित दण्डादेश शून्य है।

उनका यह भी कथन है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। जिला कलक्टर ने आरोपों को प्रमाणित मानने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। अपीलार्थी ने आरोप पत्र का जो जवाब प्रस्तुत किया था उसको दण्डादेश में अंकित करते हुए निर्णय में उल्लेख किया है कि ‘‘अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया । अपचारी अधिकारी के द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत जवाब/कथन पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:28 IST
Reason: SelfAttested

अपचारी अधिकारी पर लगायेगये आरोपों का अवलोकन किया गया। समस्त तथ्यों पर मनन एवं परीक्षण के उपरान्त अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपचारी अधिकारी को दोषी मानतेहुए तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाता है।''

माननीय पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा मालवेन्द्र जीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1970 (2) आई.एल.आर. पृष्ठ 580 फुल बेंच में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि माईनर पेनल्टी का आदेश स्पीकिग आदेश होना चाहिए अन्यथा सम्पूर्ण कार्यवाही अविधिक व शून्य मानी जावेगी। जिला कलक्टर ने आदेश में आरोपों को प्रमाणित मानने का कोई कारण अंकित नहीं किया है इसलिए पारित दण्डादेश प्रारम्भ सेही शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत किये गये उन पर कोई विचार नहीं किया और ना ही दण्डादेश में उनका उल्लेख किया है कि ये तथ्य किस प्रकार गलत है । इसलिए उक्त संबंध में पुनः कथन है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25–6–2019 को आयोजित करनी थी इसके लिए जिले के समस्त उपपंजीयकों से प्रस्ताव मांगे गये थे। अपीलार्थी ने उपपंजीयक हमीरगढ़ की हैसियत से प्रस्ताव जिला कार्यालय को प्रेषित किया। दिनांक 25–6–2019 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में उनके साथ प्रधान पंचायत समिति जहाजपुर, प्रधान पंचायत समिति शाहपुरा, उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर मुद्रांक वृत भीलवाड़ा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा अधिशाषी अभियन्ता यूआईटी, अधिशाषी अभियन्ता नगर परिषद भीलवाड़ा उपस्थित थे। जिला स्तरीय बैठक में जो निर्णय लेना था वह अध्यक्ष एवं सदस्यगण को ही लेना था। अपीलार्थी ने केवल बैठक आयोजित करने से पूर्व इस विषय पर प्रस्ताव ही भिजवाये थे। प्रस्ताव को मंजूर करना, नामंजूर करना, संशोधित करने का अधिकार कमेटी के सदस्यों को ही था। इस पर यह आरोप लगाया जाना उचित नहीं है कि अपीलार्थी ने जिला स्तरीय समिति से कोई दरे निर्धारित कराई है। क्योंकि जो निर्णय करना था वह उक्त कमेटी के सदस्यों को ही करना था। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण में अंकि है कि '' बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार विमर्श उपरान्त जिले की प्रचलित डीएलसी दरों में प्रस्ताव अनुसार वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अनुमोदित डीएलसी दरे आगामी कार्यदिवस दिनांक 26–6–2019 से प्रभावी करने का निर्णय लिया गया। अंतिम रूप से अनुमोदित डीएलसी दरों की हस्ताक्षरित एक प्रति जिला कलक्टर कर्यालय, जिला पंजियक कार्यालय एवं एक प्रति संबंधित उपपंजीयक कार्यालय में रखी जावे। ''

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:12:28 IST
Reason: SelfAttested

औद्योगिक दर निर्धारित करने के बारे में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर के परिपत्र क्रमांक एफ–7(39)जन/बजट/18–19/पार्ट/13703–14263 दिनांक 28–8–2018 में वर्ष 2018–19 के लिए प्रदेश में औद्योगिक दरे राज्य सरकार के अनुमोदन से निर्धारित कर दी गई थी। महानिरीक्षक की उक्त अधिसूचना की पालना में राज्य सरकार ने जो औद्योगिक दर निर्धारित की थी वह साफ्टवेयर पर अपडेट थी तथा राज्य सरकार से अनुमोदित थी। अपीलार्थी ने उपपंजीयक हमीरगढ़ का कार्य दिनांक 7–3–2019 को संभाला था और उक्त दरे अपीलार्थी के कार्यग्रहण करने से पूर्व ही अनुमोदित होकर साफ्टवेयर पर अपडेट थी। जिला स्तरीय समिति की बैठक में औद्योगिक दर का किसी भी प्रकार से अनुमोदन नहीं कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार ही कार्यालय उपपंजीयक हमीरगढ़ द्वारा पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। अपीलार्थी ने किसी भी पक्षकार को कोई अनुचित लाभ नहीं पहुंचाया है एव ंना ही राज्य सरकार को राजस्व की कोई हानि पहुंचाई है। अपीलार्थी ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिससे उसे दण्डित किया जावे। अपीलार्थी को इससे पूर्व के राज्य सेवा में किसी प्रकार का कोई दण्ड नहीं मिला है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–04–2020 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया गया कि आधार स्वीकार नहीं है। रेकॉर्ड के विषय तक स्वीकार है। लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने हेतु 7 दिन कम नही होते है। किसी भी पत्रावली को निरीक्षण करने के लिये अधिकतम एक घंटे की अवधि पर्याप्त होती है। व्यक्ति/कार्मिक एक पृष्ठ के ज्ञापन एवं एक पृष्ठ के आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र का प्रत्युत्तर दो घंटे मे तैयार कर सकता है। अपीलार्थी को आरोप पत्र दिनांक 13.03.2020 को प्राप्त हो गया था जिस पर अपीलार्थी द्वारा लिखित अभिकथन दिनांक 31.03.2020 तक प्रस्तुत नही किया गया। अपीलार्थी को अनुशासनात्मक अधिकारी जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा व्यक्तिशः उपस्थित होने के निर्देश दिनांक 30.03.2020 को दिये गये जिसके अनुसरण मे अपीलार्थी दिनांक 31.03.2020 को उपस्थित हुआ था। इसमे अपीलार्थी को लिखित प्रत्युत्तर पेश करने के लिये निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी द्वारा लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 31.0[illegible]2020 को प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी को ना केवल लिखित प्रत्युत्तर बल्कि मौखिक रूप से भी सुना गया था। इस प्रकार अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर पैरावाईज टिप्पणी निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:28 IST
Reason: SelfAttested

1. अस्वीकार है क्योकि जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश रिकार्ड से संगत एवं नियम एवं विधि अनुसार एवं प्रक्रिया की पूर्ण अनुपालना मे पारित किया गया जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता एवं औचित्यता नही है।
2. आधार पूर्णतया अस्वीकार है क्योकि अपीलार्थी को पहले वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों मे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जा चुका था। जो स्वयं अपीलार्थी द्वारा भी स्वीकृत तथ्य है। अपीलार्थी व्यक्तिशः सुनवाई दिनांक 31.03.2020 से लेकर दण्डादेश पारित करने की दिनांक 09.04. 2020 तक भी अपना पक्ष लिखित मे विस्तार से प्रस्तुत कर सकता था। परन्तु अपीलार्थी ने ऐसा नही किया क्योकि अपीलार्थी इस विभागीय कार्यवाही को गंभीरता से नही ले रहा था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्वरण हस्तगत प्रकरण मे लागू नही है। क्योकि अपीलार्थी/अपचारी को कार्यवाही मे समुचित अवसर दिया गया है। जो स्वयं अपीलार्थी द्वारा स्वीकृत स्थिति है।
3. आधार अस्वीकार है क्योकि अपीलार्थी को सीसीए नियम 17 के तहत 3 वेतन वृद्विया असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड पारित किया गया है। जो लघु दण्ड होकर कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क–3/जॉच/2004 दिनांक 13.10.2017 के अनुसार अनुमत है। नियम 17 (aa) हस्तगत प्रकरण मे लागू नही है क्योकि प्रकरण मे ना तो संचयी प्रभाव से वेतन वृद्वि रोकी गई है ना ही तीन साल से अधिक वेतन वृद्वि रोकी गई है और ना ही अपीलार्थी के पेशन पर दुष्प्रभाव पडने वाली वेतन वृद्वि रोकी है। असचयीं प्रभाव से वेतन वृद्वियों रोक के मामले मे कार्मिक को देय वेतन एवं वेतन के अनुसार पेशन पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। अतः अपीलार्थी द्वारा दिया गया यह आधार पूर्णतया निरर्थक है। अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा दिये गये दण्डादेश की सारभूत पालना अपीलार्थी के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने से पूर्व ही बिना किसी समस्या के पूरी हो जायेगी। आदेश मे किसी भी प्रकार अवैधता, अनियमितता एवं अनौचित्यता नही है।
4. अपीलार्थी द्वारा दिया गया आधार पूर्णतया अस्वीकार है अपीलार्थी को आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र एवं ज्ञापन मे वर्णित तथ्यो से अपीलार्थी को अपने उपर लगाये गये अपचार की पूर्ण जानकारी हो गयी थी। यह बात कथित सारभूत कतई नही है कि उसे गणना करके यह बताया जाता कि उसके द्वारा कुल कितनी राशि का राजस्व हानि किया गया है। उसे यह बताना भी आवश्यक ना था कि उसने अपने अपचार से किस और कितने पक्ष को अनुचित लाभ पहुॅचाया गया। अपीलार्थी को उसके द्वारा किये गये अपचार की वास्तविक एवं पूर्ण जानकारी आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र के माध्यम से दे दी गयी थी। आरोप [illegible] सारांशतः किये गये अपचार का संबंधित अपचारी को [illegible] है तो ऐसे आरोप को विधि की दृष्टि मे वैध माना जाता है। [illegible] आरोपी अपीलार्थी यह बताये कि वह तथाकथित अपूर्ण आरोप से जिस प्रकार भ्रम मे पड गया कि वह अपनी प्रतिरक्षा कर सका। स्वयं अपीलार्थी द्वारा अपने प्रत्युत्तर मे यह स्वीकार किया है कि करापवंचन करने वाली ईकाइयों को नोटिस जारी किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:28 IST
Reason: SelfAttested

है। जाहिर है कि अपचारी को संपूर्ण घटनाक्रम, आरोप/अपचार और उसके प्रभाव की पूर्ण जानकारी रही है। अपचारी अधिकारी यह आधार लेकर माननीय न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है।

अपीलार्थी ने अन्य अधिकारीगण के साथ अपने मामले की तुलना कर माननीय अपील अधिकारी को गुमराह किया गया। क्योकि अपचारी अपीलार्थी का मामला वर्णित किये गये अपचारी अधिकारीगण से पृथक प्रकार का है। अपचारी अधिकारी के साथ किसी प्रकार की असमानता का व्यवहार नही किया गया है। इसलिये पारित दण्डादेश दिनांक 09.04.2020 मे किसी प्रकार की अनियमितता और अनौचितता नही होने से दण्डादेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

5. आधार अस्वीकार है क्योकि नियम 17 मे लघु शास्ति/दण्डादेश के प्रावधान होने से प्राथमिक जॉच कतई आवश्यक नही है। प्रकरण मे स्वयं अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा प्राथमिक जॉच करके ही दण्डादेश पारित किया गया है। अनुशासनात्मक अधिकारी के लिये आवश्यक नही है कि वह प्रारंभिक जॉच उसके मातहत किसी अन्य अधिकारी से करावें।
6. आधार अस्वीकार है क्योकि प्रकरण मे प्राथमिक जॉच स्वयं अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा करके ही दण्डादेश पारित किया गया है।
7. आधार अस्वीकार है क्योकि अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 09.04.2020 पूर्णतः स्पीकींग, तर्कसंगत एवं विस्तृत है। जिसमें दण्डादेश एवं दोषसिद्वी के सभी आधारो का विस्तृत विवरण दर्ज है।
8. आधार अस्वीकार है क्योकि दण्डादेश दिनांक 09.04.2020 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को मूल शब्दो मे वर्णित किया गया है तथा इस प्रत्युत्तर को संतोषजनक एवं तर्कसंगत नही मानने पर अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा दोषसिद्वी एवं दण्डादेश दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा यह कहा जाना स्वीकार नही है कि उसके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर जिला स्तरीय अनुमोदन कमेटी द्वारा दिनांक 25.06.2019 को विचार किया गया था। वस्तुतः जिला स्तरीय बैठक मे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को विधि एवं नियम के परिपेक्ष मे कमेटी के समक्ष प्रस्तुत ही नही किया जाना था क्योकि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि की डीएलसी दरें निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को था ना कि कमेटी को। अपीलार्थी द्वारा उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी अपीलार्थी ने प्रस्ताव ना केवल कमेटी को प्रस्तुत किया बल्कि अनुमोदन भी करवाया।
9. आधार अस्वीकार है कि जिला स्तरीय डीएलसी बैठक दिनांक 25.06.2019 मे औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि डीएलसी प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया जाना था परन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रस्ताव जानबूझकर प्रस्तुत किया गया तथा डीएलसी कमेटी की सामान्य प्रक्रिया अनुसार दरों का अनुमोदन करा लिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan.
Date: 2021.06.29 17:42:28 IST
Reason: SelfAttested

गया जबकि कमेटी औद्यौगिक प्रयोजनार्थ भूमि की डीएलसी दर के निर्धारण के लिये अनुमत एवं अधिकृत नही थी। यह तथ्य अपीलार्थी की जानकारी मे होते हुए भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी द्वारा अनुमोदित डीएलसी दर पर उसके समक्ष प्रस्तुत पंजीयन दस्तावेजो का पंजीयन किया गया था और राज्य को राजस्व हानि कारित की गई। जिससे स्वयं अपीलार्थी द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर मे स्वीकार किया गया है।

10. आधार अस्वीकार है क्योकि अपीलार्थी ने प्रथमतः औद्यौगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का डीएलसी दर प्रस्ताव ना केवल प्रस्तुत किया बल्कि उसका अनुमोदन भी करवाया तथा उस अनुमोदित दर पर दस्तावेज पंजीयन कर राज्य को प्रत्यक्ष राजस्व हानि कारित की गई। इसे स्वयं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रत्युत्तर मे प्रस्तुत किया गया है। अन्यथा क्या कारण है कि अपीलार्थी द्वारा यह कहा गया कि उसके द्वारा दो ईकाइयों का स्टाम्प कमीं की पूर्ति हेतु नोटिस जारी किये गये। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जानकारी थी कि उसके द्वारा कम स्टाम्प वसूल कर राज्य को राजस्व हानि कारित की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील मे किये गये समस्त कथन बाद विचार, मनगढत एवं निरर्थक है जिनका कोई औचित्य नही है। अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा दिया गया दण्डादेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

मैंनें अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी श्री ललित कुमार पुरोहित तहसीलदार, हमीरगढ़ को दिनांक 25–6–2019 को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमियों की दरे अनुमोदित करवा लेने तथा पक्षकारों को अनुचित लाभ पहुंचाया जाने जिससे करापवंचना होकर राजस्व हानि हुई है, के आरोप से आरोपित कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत तीन वार्षिक वेतन वद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:28 IST
Reason: SelfAttested

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी पर लगाये गये आरोपों की जांच हेतु कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था। केवल अपने स्तर पर ही पत्रावली का अवलोकन कर एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन कर अपचारी अधिकारी दोषी मानते हुए

तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया जबकि नियमों में प्रावधान है कि अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप की प्राथमिक जांच करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए था। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराये बिना अपने स्तर से ही दण्डादेश पारित कर दिया जो किसी भी स्थिति में विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

दिनांक 25–6–2019 को आयोजित जिला स्तरीय समिति में जिला कलक्टर स्वयं अध्यक्ष थे तथा उनकी अध्यक्षता में ही जिला स्तरीय समिति की बैठक में औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि की दरे अनुमोदित की गई है। अपीलार्थी ने केवल जिला कार्यालय में प्रस्ताव ही भिजवाये थे। प्रस्ताव को मंजूर करना, नामंजूर करना, संशोधित करने का अधिकार कमेटी के सदस्यों को ही था। इस पर यह आरोप लगाया जाना उचित नहीं है कि अपीलार्थी ने जिला स्तरीय समिति से कोई दरे निर्धारित कराई है क्योंकि जो निर्णय करना था वह उक्त कमेटी के सदस्यों को ही करना था। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने आदेश/आरोप पत्र में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा पक्षकारों को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए राजस्व हानि हुई है। अपीलार्थी द्वारा किस पक्षकार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा कितनी राजस्व की हानि हुई है, का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पर आरोपित आरोप विधिसम्मत नहीं माने जा सकते है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वक्त सुनवाई अवगत कराया कि अपीलार्थी ने उपपंजीयक हमीरगढ़ का कार्य दिनांक 7–3–2019 को संभाला। उक्त दरे अपीलार्थी के कार्यग्रहण करने से पूर्व ही अनुमोदित होकर साफ्टवेयर पर अपडेट थी। जिला स्तरीय समिति की बैठक में औद्योगिक दर का किसी भी प्रकार से अनुमोदन नहीं कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार ही कार्यालय उपपंजीयक हमीरगढ़ द्वारा पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर द्वारा कोई आपत्ति की हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी ने कार्यग्रहण करने के उपरान्त उप पंजीयक कार्यालय का निरीक्षण किया वक्त निरीक्षण दो दस्तावेजों में पंजीयन शुल्क की गणना कम होना पाया गया जिसमें मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत कमी मुद्रांक कर राशि जमा कराने हेतु संबंधित पक्षकारान/फर्म को दिनांक 19–3–2020 को नोटिस जारी किये गये जिनके द्वारा रसीद संख्या 202002038000678 दिनांक 31–3–20[illegible] 51612/–एवं रसीद संख्या 202002038000679 दिनांक 5–5–2020 [illegible] 3[illegible]9/– रुपये राजकोष में जमा कराये जा चुके है तो ऐसी स्थिति में अब [illegible] हानि होने का कोई प्रश्न ही नही उठता है। जब राजस्व हानि हुई ही नहीं है तो अपचारी अधिकारी को इस बाबत दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। संयुक्त शासन सचिव वित्त (कर) विभाग जयपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.2(20)वित्त/कर/2017

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:28 IST
Reason: SelfAttested

जयपुर दिनांक 23 जून 2020 द्वारा जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25–6–2019 में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के प्रावधानों से असंगत अनुमोदित की गई औद्योगिक भूमि की दरों को विलोपित कर दिया गया है तो अपीलार्थी पर आयत आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपचारी अधिकारी पर आरोप प्रमाणित नहीं होते है। अतः अपचारी अधिकारी श्री ललित कुमार पुरोहित, तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 17 के अन्तर्गत तीन वार्षिक वेतन वद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से पारित दण्डादेश निरस्त योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री ललित कुमार पुरोहित, तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 09–04–2020 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

(डॉ0 वीना प्रधान),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:28 IST
Reason: SelfAttested